# समादरणीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2013 अपील

हेमराज आत्मज देवीचंद मन्डोरिया,
आयु 48 वर्ष, धंधा अभी कुछ नहीं,
निवासी 5, नगारची बाखल, उज्जैन

— अपीलान्ट

विरूद्ध

श्रीमान कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं
वरिष्ठ जिला पंजीयक महोदय, उज्जैन

— रेस्पान्डेन्ट

**माननीय राजस्व आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्र. 108/अपील/2011–12 में पारित विवाद्य आदेश दिनांकित 26–11–2012 से असंतुष्ट होकर अपील अंतर्गत धारा 44 भू–राजस्व संहिता।**

माननीय महोदय,

अपीलान्ट की ओर से अपील का स्मृति–लेख निम्नलिखित प्रस्तुत है:–

**संक्षिप्त तथ्य**

1– यह कि अपीलान्ट हेमराज आत्मज देवीचंदजी मण्डोरिया को जिला पंजीयक एवं मुद्रांक संग्राहक उज्जैन द्वारा अनुज्ञप्ति क्रमांक 95/2000–01 द्वारा स्टाम्प विक्रय का लायसेंस दिनांक 07–02–2001 से 31–03–2001 तक की समयावधि हेतु दिया गया, तत्पश्चात् से अपीलान्ट की अनुज्ञप्ति क्रमांक 95/2000–01 को प्रतिवर्ष नवीनीकृत करते हुए दिनांक 01–04–2009 से 31–03–2010 तक नवीनीकृत किया गया।

2– यह कि अपीलान्ट ने अपने अपनी अनुज्ञप्ति के शर्तों के अनुसार ईमानदारी से मुद्रांकों का विक्रय निरंतर करता रहा है व किसी भी प्रकार से अपने मुद्रांक विक्रय के समय नियम विरूद्ध कार्य नहीं किया है।

3– यह कि उक्त समयावधि जो कि लगभग 10 वर्ष की है, अपीलान्ट के विरूद्ध कभी भी तथा किसी भी प्रकार की शिकायत उसके कार्य के प्रति नहीं रहीं है।

—2—

# न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निगरानी-1251/पीबीआर/2013

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 30-8-19 | आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 26/10/2017 से लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है। अतः यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।<br><br>(महेश चन्द्र चौधरी)<br>सदस्य | |